

क्रि. नं. 3/13 दावा, अनीराम vs कदोराम वरु V- सीकरीपदी

दुपम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जय

तारीख
दुपम

16.8.16

बहुलाप करिवन उपाध्येत / पनावली नर
अवलोकन क्रिमा। बादी ने हस्तगत दावा
अन्तर्गत धार्य 88.89, 53.54 व 188 R.T.Act
दिनांक 25.10.2002 को न्यायालय में उद्घुक्त
क्रिमा है। चॉट नरुष का समप व्यतीत हो
जाने तथा न्यायालय द्वारा बार-बार सती
की नलकी कलापे जाने के आदेश के अलावा
भी बादी ने प्रसि सं 31 की नलकी न हो
नलाई है। अला दावा बादी आदेश 9 निपम
5 जो. के के प्रानधानांतर्गत दावा नादीगण
स्वस्ति निपा जाता है, कि भी न्यायाधी
में नादीगण के अधिकार न्यायालय में
कार्यवाही करने के सुरक्षित रहेगे। पनावली
के लाल गुणा होना दावेत स्वतः होगे

16/8/16
(निमाल पीन)
सहायक कलक्टर
(नाले)
नगर (भरतपुर) राज.